

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर: केट
इंदौर- 452 013

संदर्भ संख्या-14/05/2020-GAC / 2632

जून 7, 2021

प रि प त्र

विषय : नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए बचाव के उपाय - केंद्र सरकार के कार्यालयों में उपस्थिति के संबंध में.


कृपया उपर्युक्त विषय पर आरआरकेट के दिनांक 29/05/2021 के परिपत्र संख्या-14/05/2020-GAC का सन्दर्भ लें.

2. अब आरआरकेट इंदौर, अपर मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय, मध्य प्रदेश द्वारा संबंधित जिला दंडाधिकारियों एवं कलेक्टरों को जारी आदेश संख्या 35-09/2020/2/सी-2 दिनांक 29 मई 2021 के दिशा-निर्देशों एवं जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, इंदौर द्वारा जारी दिनांक 06.06.2021 के आदेश संख्या 2516/आरएडीएम/2021 के अनुसार दिनांक 01/06/2021 से राजपत्रित अधिकारियों की 100% उपस्थिति और अराजपत्रित कर्मचारियों की 50% उपस्थिति के साथ कार्य करना जारी रखेगा.

3. दिनांक 29/05/2021 के परिपत्र के अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी.

4. उपर्युक्त निर्देश दिनांक 07/06/2021 से प्रभावी होंगे तथा जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर, इंदौर द्वारा कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर लेने के उपरांत जारी किए जाने वाले अगले आदेश तक जारी रहेंगे.

यह परिपत्र निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।


(एस.एस. गौडाणे)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सभी वर्ग निदेशक,
सभी सह-निदेशक,
सभी प्रभाग/अनुभाग/प्रयोगशाला प्रमुख, आरआरकेट
मेल-ऑल

प्रतिलिपि :

1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट
2. क्षेत्रीय निदेशक (क्रय एवं भंडार), आरआरकेट
3. उप लेखा नियंत्रक, आरआरकेट
4. उप कमांडेंट, केंऔसुब, आरआरकेट
5. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2600 / री.ए.डी.एम / 2021

इन्दौर, दिनांक 6-6-2021

/// आदेश ///

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय :- दिनांक 7 जून 2021 से इन्दौर जिले में वर्तमान प्रभावशील कोरोना कफर्यु के चलते अतिरिक्त गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त करने बाबत।
संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग का आदेश क्रमांक एफ/35-09/2020/दो/सी-2 दिनांक 29 मई 2021, इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/2516-2517/री.ए.डी.एम./2021 दिनांक 31-5-2021

—00—

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित आदेश के तहत, दिनांक 1 जून 2021 से इन्दौर जिले में कुछ गतिविधियों को कोरोना कफर्यु के प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। इन मुक्त गतिविधियों को यथावत रखते हुए दिनांक 7 जून 2021 से निम्नानुसार कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जाना आदेशित किया जाता है। साथ ही कुछ गतिविधियाँ प्रतिबंधित गतिविधियों की श्रेणी में यथावत रहेगी जिनका उल्लेख भी निम्नानुसार किया गया है। यह आदेश जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति की आज दिनांक 6-6-2021 को साय 5.30 बजे रेसीडेंसी कोठी में हुई बैठक में लिए गए निर्णय एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act-2005 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया जा रहा है, इसका पालन किया जाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इस आदेश के तहत इन्दौर जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों तथा अनुमत्य गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अ- प्रतिबंधित गतिविधियाँ -

1. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन आदि गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित रहेगी।
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह।
4. सभी धार्मिक/पूजा स्थल बंद रहेगे।

5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्टर, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
6. अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
7. 15 जून 2021 तक विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
8. प्रत्येक शनिवार एवं रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक गतिविधियां चल सकेंगी। शनिवार को जिला काईसेस मैनेजमेंट उप समिति द्वारा कुछ थोक गतिविधि संबंधित दुकानों को माल डिस्पेच किए जाने की अनुमति दी जा सकेगी।
9. सम्पूर्ण जिले में रात्रि 11.30 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
10. रूल ऑफ सिक्स :- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

ब- दिनांक 01 जून 2021 के आदेश में प्रतिबंधों से मुक्त अर्थात् अनुमत्य गतिविधियों को यथावत रखते हुए निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है:-

1. चौईथराम मंडी में केवल प्याज की बिक्री हो सकेगी। केवल इस गतिविधि के लिए मंडी प्रशासन, मंडी में आवाजाही की अनुमति दे सकेगा। अन्य प्रकार की बिक्री के लिए अभी यह मंडी बंद रहेगी। मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो तथा उल्लंघन किए जाने पर पैनाल्टी लगाए जाने के अधिकार मंडी प्रशासन को पूर्व में प्रत्यायोजित किए जा चुके हैं।
2. छावनी/लक्ष्मीबाई नगर/मालवा मिल अनाज मंडी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित कर सकेंगे।
3. ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को देखते हुए जिले में स्थित समस्त मोटर पंप रिपेयरिंग दुकान/संस्थान संचालित हो सकेंगे।
4. इन्दौर नगर निगम सीमा के बाहर जिले में स्थित 8 नगर पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों के खोलने के संबंध में निर्णय हेतु अधिकार ब्लाक स्तरीय काईसेस मैनेजमेंट समिति के मतानुसार क्षेत्रीय एसडीएम को सौंपे जाते हैं। क्षेत्रीय एसडीएम अपने क्षेत्राधिकार में इस समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तारतम्य में दुकानें खोल सकेंगे। होने वाली बोंवनी को देखते हुए किसानों के घर से खेत तक आने-जाने में कोई व्यवधान न हो यह भी संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे।



5. सम्पूर्ण जिले में स्टेशनरी एवं बुक्स की थोक तथा खेरची दुकानें सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
6. सम्पूर्ण जिले में दूध डेयरी सप्ताह में 6 दिन अर्थात् सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर रात्री 8.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
7. किराना/ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में 6 दिन अर्थात् सोमवार से शनिवार प्रातः 6.00 से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
8. किराना/ग्रोसरी की थोक दुकानें सप्ताह में केवल 5 दिन अर्थात् सोमवार से शुक्रवार प्रातः से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
9. चार थोक बाजार क्षेत्र अर्थात् महारानी रोड़ एवं सियागंज, मल्हारगंज क्षेत्र, छावनी क्षेत्र एवं मालवा मिल क्षेत्र में किराना/ग्रोसरी एवं अन्य सभी श्रेणी की दुकानें पूर्ण रूप से दो दिन अर्थात् शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगी।
10. अण्डा, चिकन, मीट (कच्चे रूप में) की बिक्री के संस्थान सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
11. विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट के किचन संचालित करते हुए केवल पक्का खाद्य सामग्री की होम डिलेवरी की जा सकेगी। यह गतिविधि सोमवार से शनिवार प्रातः से लेकर रात्री 10.30 बजे तक संचालित हो सकेगी किन्तु रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा/शटर पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
12. शहरी गरीब श्रेणी के निम्न वर्ग की सेवाएँ संचालित हो सकेगी -
 - अ- धोबी संबंधी कार्य
 - ब- मोची संबंधी कार्य
 - स- दर्जी संबंधी कार्य
 - द- नाई की दुकान के कर्मचारी बिना दुकान खोले घर जाकर अपनी सेवाएँ दे सकेंगे।

विभिन्न अस्पतालों एवं होटलों की सुविधा हेतु लाण्डी संबंधी गतिविधि भी संचालित हो सकेगी।
13. विभिन्न वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयों में स्थित मशीनों की रिपेयरिंग हेतु ऑटो पार्ट्स/मशीनरी की दुकानें सप्ताह में 5 दिन अर्थात् सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
14. प्रचलित निर्माण कार्य सप्ताह में 6 दिन अर्थात् सोमवार से शनिवार संचालित हो सकेंगे तथा रविवार को केवल ऑन साईट लेबर को रखा जाकर कार्य किया जा सकेगा। प्रचलित निर्माण कार्यों में आवश्यकता को देखते हुए प्लायवुड की दुकानें सप्ताह में तीन दिन अर्थात् सोमवार, बुधवार, शुक्रवार प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संचालित हो सकेगी।
15. विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता को देखते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेकेट्री, टैक्स

कंसलटेंट, औद्योगिक इकाईयों, निर्माण गतिविधि संबंधी, ट्रांसपोर्ट एवं गोडाउन सर्विसेस के निजी कार्यालय जिले में खोले जा सकेंगे। शेष नि कार्यालय अभी नहीं खुल सकेंगे।

16. फोटोग्राफर तथा फोटो फ्रेम बनाने संबंधी संस्थान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुकवार दोपहर 12.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
17. जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति द्वारा गठित उप समिति समय-समय पर थोक बाजार के संबंधित एसोसिएशन जैसे- क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार, (अटैची, बैग्स, सूटकेस, थैले) गारमेंट्स, डिस्पोजेबल आयटम, सायकल, चूड़ी, स्टील/शीट्स आदि से समक्ष में चर्चा कर सीमित समय/दिन के लिए माल डिस्पेच करने की अनुमति दे सकेगी।

कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं अनुशासन के पालन हेतु सभी नगरीय निकायों, सीईओ जनपद, सीईओ कंटेनमेंट एरीया, मंडी विभाग एवं समस्त कार्यालय प्रमुखों एवं संस्थान प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि मास्क नीचे पहने हुए पाए जाने पर अथवा मास्क नहीं पहनने पर रूपये 200/- का अर्थदण्ड सख्ती से आरोपित कर राशि वसूली की जावे। सभी दुकानों एवं संस्थानों के बाहर संबंधित संस्थान द्वारा अनिवार्यतः गोले बनाए जावे। स्थानीय निकाय उक्त समस्त व्यवस्था को सुनिश्चित करवाएगी।

शहर में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला काईसेस मैनेजमेंट समिति समय-समय पर इस आदेश का पुनर्विलोकन करने हेतु आवश्यक बैठक आयोजित की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 7-6-2021 से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 6/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।


(मनीष सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 6-6-2021

पृ०क्र०/2601/री०ए०डी०एम०/2021
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर

7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, झोन -1-2-3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त),, इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना.....जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, इन्दौर।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.